

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 01/T/2024	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 09-01-2024	तारीख पेशी 18-10-2024
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

जगदीवन सिंह

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री जगदीवन सिंह पुत्र ब्रह्मचन्द, वासी महाल पुननी, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री जगदीवन सिंह पुत्र ब्रह्मचन्द, वासी महाल पुननी, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में जगजीवन सिंह पुत्र ब्रह्मचन्द, वासी महाल पुननी दर्ज है जबकि उसका सही नाम जगदीवन सिंह पुत्र ब्रह्मचन्द है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके जगजीवन सिंह उर्फ जगदीवन सिंह पुत्र ब्रह्मचन्द किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 02/T/2024	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 12-01-2024	तारीख पेशी 18-10-2024
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

नागेन्द्र दात्ता

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री नागेन्द्र दात्ता पुत्र केसरी लाल, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री नागेन्द्र दात्ता पुत्र केसरी लाल, वासी महाल सलेटी, मौजा कलोहा तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में नागेन्द्र पुत्र केसरी लाल दर्ज है जबकि उसका सही नाम नागेन्द्र दात्ता पुत्र केसरी लाल है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके नागेन्द्र दात्ता पुत्र केसरी लाल किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं०	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
20 / T/2023	नाम दुरुस्ती	28-11-2023	18-10-2024

परविन्दर सिंह

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री परविन्दर सिंह पुत्र पीन्जू, वासी महाल बड़वार, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री परविन्दर सिंह पुत्र पीन्जू, वासी महाल बड़वार, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में परविन्दर कुमार पुत्र पीन्जू दर्ज है जबकि उनका सही नाम परविन्दर सिंह पुत्र पीन्जू है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके परविन्दर सिंह पुत्र पीन्जू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 04/T/2024	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 27-03-2024	तारीख पेशी 18-10-2024
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

कुलदीप कुमार

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र सुदामा, वासी महाल ब्रह्मनगर, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र सुदामा, वासी महाल ब्रह्मनगर, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में कुलदीप सिंह उर्फ कुलदीप पुत्र सुदामा दर्ज है जबकि उसका सही नाम कुलदीप कुमार पुत्र सुदामा है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके कुलदीप सिंह उर्फ कुलदीप कुमार पुत्र सुदामा किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में अस्सालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 22/T/2023	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 13-12-2023	तारीख पेशी 18-10-2024
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

करतार सिंह

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री करतार सिंह पुत्र बलन्दू, वासी महाल खरोटी, मौजा कलोहा, रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि महाल खरोटी के खाता नं0 62 के खाना काश्त में उसका नाम वलवीर सिंह दर्ज है जबकि उसका सही नाम करतार सिंह पुत्र बलन्दू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके वलवीर सिंह की जगह करतार सिंह किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

केस नं0 09/T/2022	किस्म मुकद्दमा नाम दुरुस्ती	तारीख दायर 20-06-2022	तारीख पेशी 18-10-2024
----------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------

राजिन्दर कुमार

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राजिन्दर कुमार पुत्र ज्ञानू, वासी महाल कलोहा उपरला, मौजा कलोहा रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राजिन्दर कुमार पुत्र ज्ञानू, वासी महाल कलोहा उपरला, मौजा कलोहा, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में राज कुमार पुत्र ज्ञानू दर्ज है जबकि उसका सही नाम राजिन्दर कुमार पुत्र ज्ञानू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके राज कुमार उर्फ राजिन्दर कुमार पुत्र ज्ञानू किया जाए।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 18-10-2024 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
रक्कड़, तहसील रक्कड़, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : /2024 मुस्त्री मुनयादी

Sh./Smt. Subhash Singh s/o Ram Singh, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Sh./Smt. Subhash Singh s/o Ram Singh, r/o V.P.O. Sudher, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Self Subhash Singh s/o Ram Singh का जन्म दिनांक.....को हुआ है परन्तु एम. सी. धर्मशाला/ग्राम पंचायत Sarah में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Subhash Singh के जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 19-10-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अशवनी कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव जडंपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र.—बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती करके प्रकाशो राम के बजाए प्रकाश चन्द दर्ज करने बारे।

अशवनी कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव जडंपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सकडी खास, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम प्रकाशो राम पुत्र श्री वंशी राम है जबकि प्रार्थी के पिता का असल नाम प्रकाश चन्द पुत्र वंशी राम है, लिहाजा प्रार्थी के पिता के नाम की दुरुस्ती कर प्रकाश चन्द पुत्र वंशी राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इस्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 19-10-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या बकालतन हाजिर आकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

-----